राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

54वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2015 से संबंधित कार्य बिन्दु

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>कार्य बिन्दु</th><th>कृत कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>1</td><td>“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों एवं एवं छोटे व्यपारियों और विशेष रुप से महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाएं।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td><td>
<table>
<tr><th>पीएम - मुद्रा योजना ऋण</th><th>खाताधारकों की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr>
<tr><td>शिशु - ` 50,000/- तक</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>किशोर - ` 50,001 से ` 5 लाख तक</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तरुण - ` 5 लाख से ` 10 लाख</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>“प्रधानमंत्री सुरक्षा बन्धन योजना” के अंतर्गत महिला खाताधारकों को 30 सितम्बर, 2015 तक अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाए।

(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td><td>
<table>
<tr><th>पीएम - सुरक्षा बन्धन योजना</th><th>महिला लाभार्थियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>सुरक्षा जमा योजना - ` 201/-</td><td></td></tr>
<tr><td>जीवन सुरक्षा उपहार चेक - ` 351/-</td><td></td></tr>
<tr><td>जीवन सुरक्षा जमा योजना - ` 5001/-</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखंड के निर्देशिानुसार सभी जिलों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि लाने हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभाग अग्रणी जिला प्रबंधक के सहयोग से भौगोलिक स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों पर आधारित बैंकयोग्य योजनाएं (Bankable Schemes)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>बनाएं।
(कार्रवाई - राज्य सरकार के संबंधित विभाग / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>बी.एस.एन.एल. राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने हेतु तैयार किए गए रोड मैप के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक की स्थिति बताएं।

(कार्रवाई - राज्य सरकार / भारत संचार निगम लि. / निदेशक, टर्म)</td><td>1397 कनेक्टिविटी रहित एसएसए / क्लस्टर में कनेक्टिविटी पहुँचाने की अद्यतन स्थिति :
<table>
<tr><th></th><th>31.03.2015 तक की स्थिति</th><th>30.09.2015 तक की प्रगति</th></tr>
<tr><td>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी की उपलब्धतता</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी की उपलब्धतता</td><td>176</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>हथकरघा विभाग द्वारा प्रेषित बुनकरों के आवेदन पत्रों का बैंक एक महीने के अंदर निस्तारित कर, उन्हें “वीवर क्रेडिट कार्ड” जारी करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक एवं हथकरघा विभाग)</td><td>बैंक द्वारा हथकरघा / वीवर क्रेडिट कार्ड हेतु दिए गए ऋणों की 30 सितम्बर, 2015 तक की स्थिति
<table>
<tr><th>बैंक का नाम</th><th>वीवर क्रेडिट कार्ड की संख्या</th><th>वितरित ऋण राशि (` लाख में)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा ` 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति “स्टॉम्प शुल्क” से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें,</td><td></td></tr>
</table>

	क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है। **(कार्रवाई - सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन)**	
7	अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि राज्य की महत्वाकांक्षी योजना "वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन" हेतु भू-परिवर्तन संबंधी अध्यादेश सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसे निदेशक, पर्यटन के माध्यम से बैंकों के उपयोग हेतु को उपलब्ध करा दिया जाएगा। **(कार्रवाई - सचिव, पर्यटन / निदेशक, पर्यटन)**	
8	समस्त संबंधित राज्य सरकार के विभागों को निर्देशित किया गया कि विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित आवेदन पत्रों को वित्तीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में बैंकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्रवाई - संबंधित विभाग)**	

9	सभी बैंक नियंत्रक, सितम्बर, 2015 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी **1-4**9 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर ऑन-लाइन प्रेषण करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)**	

****